संख्या : 329896 / E-79713 / 03(150)2017 / XXVII(1) / 2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून : दिनांक : 12 सितम्बर, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2025–26 का अनुपूरक) अधिनियम, 2025 के क्रम में अनुपूरक मांग की धनराशि निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत अनुपूरक मांग से सम्बन्धित समस्त प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां, दिशानिर्देश सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश सं.–287566/2025, दिनांक 31.03.2025 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्गत की जायेंगी।
2. प्रशासकीय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के सम्बन्धित मानक मद में पूर्व से प्रावधानित धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात् ही प्रथम अनुपूरक अनुदान में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत की जाय।
3. अनुदान सं.–19 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–1 एवं फेज–2 के लम्बित कार्यों हेतु अनुपूरक बजट के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि मात्र उन्हीं कार्यो की लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण विभाग का परामर्श/सहमति प्राप्त कर अवमुक्त की जाएगी, जो कार्य योजना की समयसीमा के अन्तर्गत अनुमोदित एवं वास्तविक रूप से धरातल पर प्रारम्भ हो चुके हों, किन्तु योजना के संबंधित चरण की समय–सीमा भारत सरकार स्तर से विस्तारित न किए जाने के कारण देनदारी बनी हो, जिसका निर्वहन अभी राज्य सरकार द्वारा किया जाना बाध्यकारी हो गया हो। किन्तु किसी भी चरण में अनुमोदित कार्यों की मूल लागत में वृद्धि (variation) हेतु उक्त अनुपूरक धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।
4. अनुदान सं.–22 के अन्तर्गत रिस्पना व बिन्दाल की एलिवेटेड यूटिलीटी शिफ्टिंग के कार्यों हेतु अनुपूरक बजट के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण विभाग का परामर्श/सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। धनराशि की स्वीकृति/आहरण वास्तविक व्यय हेतु आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य होगी एवं विशेष भूमि अभ्याप्ति अधिकारी के स्तर पर पार्किंग हेतु धनराशि की स्वीकृति/आहरण नहीं किया जाएगा। उक्त धनराशि की स्वीकृति से पूर्व कार्यों हेतु वांछित समस्त अनुमतियां, अनापत्तियां आदि प्राप्त कर ली जाएंगी। साथ ही अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित उक्त धनराशि को विषयगत कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जाएगा तथा उक्त धनराशि का किसी भी अन्य कार्य हेतु पुनर्विनियोग निषिद्ध होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5. SNA SPARSH के माध्यम से संचालित की जा रही केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु मुख्य आय–व्ययक/अनुपूरक बजट में मानक मद–14 में बजट व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में प्रशासकीय विभाग यथावश्यकता मानक मद–70 व 71 में अपने स्तर से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति निर्गत कर सकते हैं किन्तु किसी परिस्थिति में मानक मद–70 व 71 से मानक मद–14 में पुनर्विनियोग की आवश्यकता होने पर प्रशासकीय विभागों द्वारा पूर्ववत् वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी।

2– इसके साथ ही मुख्य बजट व अनुपूरक बजट के माध्यम से वित्तीय स्वीकृतियों तथा आहरण वितरण के संबंध में भी निम्नवत दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं : –

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष के स्तर से सभी वित्तीय स्वीकृतियां (केन्द्रपोषित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, एस.ए.एस.सी.आई, एस.पी.ए. तथा एस.पी.आर. को छोडकर) तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृतियां विलम्बतम् 28.02.2026 तक निर्गत कर दी जाएं।
2. राज्य सैक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत माह मार्च, 2026 में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृतियों की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
3. सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त देयकों को कम्प्यूटर से जनेरेट एवं अप्रूव करते हुए आई.डी. सहित भौतिक रूप से देयकों को कोषागार में विलम्बतम् दिनांक 15.03.2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायगा।
4. राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी दशा में फण्ड आहरित कर उनकी पर्किंग नहीं की जाएगी न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखा जाएगा। इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी प्रशासकीय विभाग अपनी वित्तीय स्वीकृति की समय सारिणी इस प्रकार से बना लें कि सभी स्वीकृतियों के देयकों हेतु कोषागार से प्राप्त चेकों का भुगतान 28.03.2026 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

3– उपरोक्त दिशानिर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 11-09-2025
18:41:41

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या :329896/E-79713/03(150)2017/XXVII(1)/2025 एवं तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

4. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड।
11. शासन के समस्त बजट सम्बन्धी अनुभाग।
12. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner